अध्यक्ष महोदय : अब आप बैठ जायें। आपने अपनी बात कह ली है।

डा० राम मनोहर लोहिया : मुझे अपनी बात पूरी तो कर लेने दीजिये।

अध्यक्ष महोदय : भाषण की इजाजत नहीं दी जा सकती है।

डा० राम मनोहर लोहिया : इस मामले को लेकर आपको नोटिस मिले हैं। यह एक ऐसा सवाल है जो कि इन लोगों की समझ में नहीं आएगा। ये जो सामने बैठे हुए हैं इनकी समझ में नहीं आएगा। आपको इसको कुछ समझने की कोशिश करनी चाहिये। आप इस वक्त क्या कर रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : अब आप बैठ जायें।

डा० राम मनोहर लोहिया : आप ऐसे देश की लोक सभा के अध्यक्ष बन रहे हैं जहां पर ....

अध्यक्ष महोदय : अब आप बैठ जाइये।

डा० राम मनोहर लोहिया : बिना गोलियां चलाये देश का काम नहीं हो सकता है? इस पर बहस होनी चाहिये। पूरी बात भी मुझे आप रखने नहीं दे रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : कोई प्वाइंट आफ आर्डर नहीं उठता है। अगर किसी की लिबर्टी को विदाउट प्रासेस आफ ला छीना जाता है या करटेल किया जाता है तो उसके लिए ला कौर्टस हैं। हम यहां इसका फसला नहीं कर सकते हैं।

श्री मधु लिमये : चर्चा तो कर सकते हैं।

अध्यक्ष महोदय : चर्चा करने के लिए तमाम मौके दिये जायेंगे।

श्री मधु लिमये : वे ही तो नहीं मिल रहे हैं। (**व्यवधान**)

श्री हुकम चन्द कछवाय : आप स्वीकार नहीं करते हैं। कब आप देंगे। गो हत्या के बारे में आन्दोलन चल रहा है...

अध्यक्ष महोदय : आप बठ जायें।

श्री हुकम चन्द कछवाय : लाठियां चलाई जाती हैं, उनको जेलों में डाला जाता है...

अध्यक्ष महोदय : कछवाय साहब, अब आप बैठ जायें।

श्री हुकम चन्द कछवाय : हम नोटिस देते हैं आप मौका ही नहीं देते हैं।

अध्यक्ष महोदय : अब आप बैठ जायें। रंगा साहब और गोपालन साहब ने जो कहा है उसको फिर एग्जेमिन करके मैं हाउस के सामने कहूंगा।

पेपर्ज टू बी लेड आन दी टेबल।

12.33 hrs.

PAPERS LAID ON THE TABLE

NOTIFICATIONS RE: KERALA EDUCATION RULES

The Minister of Education (Shri M. C. Chagla):—I beg to lay on the Table a copy each of the following Notifications making certain amendments to the Kerala Education Rules, 1959, under section 37 of the Kerala Education Act, 1958, read with clause (c) (iv) of the Proclamation dated the 24th March, 1965, issued by the Vice-President, discharging the functions of the President, in relation to the State of Kerala:—

(1) S. R. O. No. 410/65 published in Kerala Gazette dated the 23rd November, 1965.

(2) S. R. O. No. 119/66 published in Kerala Gazette dated the 15th March, 1966.

(3) S.R.O. No. 197/66 published in Kerala Gazette dated the 17th May, 1966.

[*Placed in Library. See* No. LT-7045/66]

श्री मधु लिमये (मुंगेर) : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है।

अध्यक्ष महोदय : अब कोई नहीं ।

श्री मधु लिमये : संविधान की धारा 118 के मातहत मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है ।

अध्यक्ष महोदय : चागला साहब ने जो पढ़ा है उस पर है ?

श्री मधु लिमये : कार्य सूची के बारे में मेरा प्वाइंट आफ आर्डर है ।

आपके निदेशों के अनुसार कार्य सूची के बारे में फैसला हो चुका है कि जो कार्य सूची में साधारण कार्रवाई है उसको लेने के पहले विशेषाधिकारों तथा अन्य प्रश्नों की चर्चा हो सकती है । मैं आपका ध्यान संविधान की धारा 118 की ओर खींचना चाहता हूं । इस में कहा गया है :

"118. (1) Each House of Parliament may make rules for regulating, subject to the provisions of this Consitution, its procedure and the conduct of its business."

उसके सम्बन्ध में 'मे' साहब की किताब में निम्न जुमला है :

"Page 60—Another collective right of the House is to settle its own code of procedure. This is such an obvious right—it has never been directly disputed—that it is unnecesstry to enlarge upon it except to say that the House is not responsible to any external authority for following the rules it lays down for itself, but may depart from them at its own discretion."

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस सदन को पूरा अधिकार है अपनी प्रक्रिया को नियमित करने का और इस धारा के मातहत, 118 के मातहत ये कार्य-प्रक्रिया सम्बन्धी नियम बने हैं । मेरा निवेदन है कि कांग्रेस पार्लिमेंटरी पार्टी ने अक्तूबर के अन्तिम सप्ताह में जो बैठक की है और उसमें जो सदन के अधिकार हैं उनके ऊपर अतिक्रमण करने की . .

अध्यक्ष महोदय : यह कार्य सूची में कैसे आप कर रहे हैं ?

श्री मधु लिमये : मेरा प्रिवलेज मोशन इसके ऊपर है । मैं बता रहा हूं कि कांग्रेस पार्लिमेंटरी पार्टी को कोई अधिकार नहीं इस सदन की कार्य-प्रक्रिया के बारे में फैसला देने का । उन्होंने तय किया है कि जीरो आवर की बहस आधे घंटे की हो । इनको कौन सा अधिकार है ? यह तो सदन का अधिकार है, सदन के अध्यक्ष का अधिकार है . .

अध्यक्ष महोदय : कोई मतलब नहीं है इसका यहां ।

श्री मधु लिमये : मेरे विशेषाधिकार के प्रस्ताव को आप लीजिये । यह कांग्रेस पार्लिमेंटरी पार्टी के खिलाफ है, उसके नेता के खिलाफ है, सैक्रेटरियों के खिलाफ है, चीफ ह्विप के खिलाफ है ।

अध्यक्ष महोदय : उसको मैंने नामंजूर कर दिया है ।

श्री मधु लिमये : किस नियम के मातहत नामंजूर किया है ।

अध्यक्ष महोदय : अब आप बैठ जाइये । और मैं इजाजत नहीं दे सकता हूं ।

श्री मधु लिमये : 105 धारा पढ़ने दीजिये ।

अध्यक्ष महोदय : ऐसे नहीं । आप बैठ जाइये ।

Shri Hari Vishnu Kamath: (Hoshangabad): Sir, my point is about the papers just now laid on the Table by the hon. Minister of Education. I am sure you will agree that it is a matter of some concern to the House that the Government, in this case the Minister of Education, has already, in less than six weeks of the recess; relapsed into the old ways to

[Shri Hari Vishnu Kamath]

which they were accustomed during the last few sessions. During the last session, you will be pleased to recollect, due to constant hammering from this side of the House, the Government, the Ministeries concerned, furnished statements of explanations for delay in placing copies of documents on the Table of the House. Here, you will see, the first statement is dated November, 1965. They have taken one year to place a copy of some resolution, in regard to Kerala, on the Table. The second one is dated March 1966 and the third one is dated May 1966. Seven months, eight months and one year old documents are being laid on the Table today. And, if I may briefly sum up, if the Minister himself cannot teach his Ministry to behave itself how can he teach others, the people, the nation? With lectures day in and day out, what can he do with the students if he cannot teach the Ministry better ways?

Mr. Speaker: They were laid on the Table of the House earlier. That was done earlier but at that time the time was not enough.

Shri Hari Vishnu Kamath: One of dated November, 1965. They could have laid it on the Table in February. Why are they doing it today? They must give the reasons.

Mr. Speaker: These are being relaid. Let us proceed now.

DEFENCE OF INDIA (FOURTH AMENDMENT) RULES, 1966.

The Minister of Finance (Shri Sachindra Chaudhuri): Sir, I beg to lay on the Table a copy of the Defence of India (Fourth Amendment) Rules, 1966, published in Notification No. G. S. R. 1676 in Gazette of India dated the 1st November, 1966, under section 41 of the Defence of India Act, 1962, together with an Explanatory Note. [*Placed in Library. See* No. LT-7154/66].

डा० राम मनोहर लोहिया (फर्रुखाबाद): मेरा निवेदन भी आप सुन लें। मैं 222 की तरफ आपका ध्यान खींचना चाहता हूं। मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है।

अध्यक्ष महोदय : एक मामला खत्म हो गया हो, दूसरा शुरू न हुआ हो तो कैसे व्यवस्था का प्रश्न उठ सकता है।

डा० राम मनोहर लोहिया : लिखा हुआ है। मैं पढ़ कर बताता हूं। बिल्कुल साफ इसमें लिखा हुआ है। आप देखें 376(2)। उसमें लिखा हुआ है। फिर गंदा काम करना पड़ता है और अंग्रेजी में पढ़ना पड़ता है।

"A point of order may be raised in relation to the business before the House at the moment:

Provided that the Speaker may permit a member to raise a point of order during the interval between the termination of one item of business and the commencement of another if it relates to maintenance of order in, or arrangement of business before, the House."

अध्यक्ष के आदेशों के अनुसार और वैसे भी इस नियम के अनुसार जो सूची तैयार की गई है कि किस वक्त कौन सा काम लिया जायेगा, उसके अनुसार जब ये मंत्री लोग अपने कागज सदन के पटल पर रखने लगें, उसके पहले विशेषाधिकार का प्रश्न आना चाहिए। यह विशेषाधिकार का प्रश्न एक ऐसे आदमी के बारे में है, जिसके बारे में सबूत भी दिया गया है, जिसने लोक सभा को जेल बनाना चाहा है और वह आदमी प्रधान मंत्री हैं। मैं ने सुबूत में आप को कागजात भी दिये हैं।

अध्यक्ष महोदय : रूल 376(2) का वह मतलब नहीं है, जो कि माननीय सदस्य ले रहे हैं। अगर माननीय सदस्य बिजिनेस के एरेंजमेंट के बारे में कोई सवाल उठाना चाहें कि फलां आइटम पहले हो या फलां आइटम पीछे आना चाहिए या किसी आइटम